

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(6) वित्त/राजस्व/2019

जयपुर, दिनांक:- 09.10.2020

आज्ञा

श्री मनोज शांडिल्य, मुख्य लेखाधिकारी के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के कारण इनकी वर्ष 2017-18 में सुपर टाईम संवर्ग में पदोन्नति से चयन सेवा संवर्ग में रिक्त हुये पदों पर राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को तालिका में अंकित संशोधित चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा की चयन सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पूर्व में मुख्य लेखाधिकारी पद हेतु चयन वर्ष	मुख्य लेखाधिकारी पद हेतु संशोधित चयन वर्ष
1	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	2019-2020	2018-19
2	श्री पवन कुमार बूबना	2020-21 (प्रस्तावित)	2019-2020

पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/।।) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव